



फाइल संख्या ए 40011/ 1/2020 प्रशा-2
राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
बाबा गंग नाथ मार्ग मुनिरका नई दिल्ली 110067

दिनांक:- 11/04/2022

आवेदन सूचना

विषय:- विभागीय जांच संचालन हेतु जांच अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों के मनोनयन के बारे में।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच कार्यान्वित करने हेतु जांच अधिकारी के रूप में केंद्र सरकार में उप सचिव तथा उनसे ऊपर स्तर के अधिकारी तथा राज्य सरकार/सरकारी संगठन में समकक्ष स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में (प्रतिलिपि संलग्न) आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित जांच अधिकारी संस्थान द्वारा दिए गए आधिकारिक परिसर में जांच की कार्यवाही संचालित करेगा। दिल्ली तथा एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले पात्र व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जांच प्रक्रिया संचालित करने के लिए जांच अधिकारी को भारत सरकार के अंतर्गत नियमों/ निर्देशों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

2. विभागीय जांच के संचालन के लिए जांच अधिकारियों के रूप में इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पात्रता के नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं:-

- सेवानिवृत्त अधिकारी जो जांच अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहते हैं।
- उन्हें किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में दंडित न किया गया हो।
(विभागीय कार्यवाही आपराधिक मामले में अभियोजन के रूप में कोई भी जुर्माना न किया गया हो)।

3. आवेदनों की जांच संस्थान के प्रोफेसर स्तर के अधिकारियों की 3 सदस्य समिति द्वारा की जाएगी एवं समिति की संस्तुतियाँ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति हेतु प्रस्तुत की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

4. यह पैनल 3 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगा।

5. एक जांच अधिकारी को 1 वर्ष में अनुशासनात्मक कार्यवाही के 8 मामले ही दिए जाएंगे जिसमें एक समय में 4 मामलों से अधिक मामले नहीं दिए जाएंगे। जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने पर उक्त अधिकारी को जांच सौंपा जाना अनिवार्य नहीं होगा, कार्य की उपलब्धता के अनुसार ही जांच संबंधी कार्य सौंपा जाएगा।

6. सेवानिवृत्त अधिकारी की जांच अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए नियम व शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन फाइल संख्या 142/40/ 2015 एवीडी-1, दिनांक 15.9.2017(समय-समय पर संशोधित) के अनुसार शासित होंगी।

7. जांच अधिकारी को दिए जाने वाले मानदेय एवं अन्य भत्तों की दर निम्नानुसार है:-

मद	वर्ग	जांच कार्यवाही को पूरा करने के लिए लिया गया समय	प्रति मामला दर (रुपए में)
मानदेय	'I'	जहां आरोप पत्र में उद्धृत गवाहों की संख्या 10 से अधिक है	मासिक मूल पेंशन का 80% आहरित

जारी.....

	'II'	जहां आरोप पत्र में उद्धृत गवाहों की संख्या 6-10 के बीच है	मासिक मूल पेंशन का 60% आहरित
	'III'	जहां आरोप पत्र में उद्धृत गवाहों की संख्या 6 से कम है	मासिक मूल पेंशन का 50% आहरित
यात्रा भत्ता		रु. 40,000 प्रति मामला इस शर्त के अधीन कि वाह्य (दिल्ली) यात्रा के लिए, हवाई/रेलवे एसी-1 के वास्तविक खर्च (टिकट) की प्रतिपूर्ति की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन और अपने सेवानिवृत्त होने से पूर्व वाह्य (दिल्ली) यात्रा हेतु टिकटों की व्यवस्था एयर इंडिया में अपने स्तर के अनुसार हकदार सबसे सस्ती श्रेणी (एनटाइटलड क्लास) तथा वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकृत स्रोतों के माध्यम से करनी होगी; यदि यात्रा एयर इंडिया द्वारा नहीं की जाती है तो यात्रा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करनी आवश्यक होगी; इसी प्रकार रेलगाड़ी से यात्रा करने हेतु भी अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व अधिकारी के लिए अपनी हकदार श्रेणी के अनुसार यात्रा भत्ता अनुमत्य/प्रतिबंधित होगा	
सचिवीय सहायता	'I'	जहां आरोप पत्र में उद्धृत गवाहों की संख्या 10 से अधिक है	रु. 40,000/-
	'II'	जहां आरोप पत्र में उद्धृत गवाहों की संख्या 6-10 के बीच है	रु. 30,000/-
	'III'	जहां आरोप पत्र में उद्धृत गवाहों की संख्या 6 से कम है	रु. 20,000/-

जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 50% राशि का भुगतान किया जाएगा। शेष राशि का भुगतान 45 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। यदि न्यायालयों द्वारा स्थगन के कारण मामले पर कार्यवाही करना संभव नहीं है, तो जांच अधिकारी को उसके कर्तव्यों से मुक्त किया जा सकता है और मानदेय और भत्ते का भुगतान यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

8. पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन अधोहस्ताक्षरी तक **07 मई 2022** या उससे पूर्व पहुंचने चाहिए।

9. यह नोटिस निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) की अनुमति से जारी किया जाता है।

कृपा
11.4.2022

प्रभारी (प्रशासन-II)

संलग्नक : यथोपरि

प्रति प्रेषित:

प्रभारी, कंप्यूटर केंद्र रास्वापक संस्थान - कृपया उक्त नोटिस को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

विभागीय जांच संचालन हेतु जांच अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त संबंधित सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवेदन

1. अधिकारी का नाम :
(बड़े अक्षरों में)
2. सरकार से सेवानिवृत्ति की तिथि :
(पेंशनरों के लिए जारी आइडेंटिटी कार्ड करने की कॉपी संलग्न करें)
3. आवेदन जमा करने की तिथि पर आयु :
4. सेवानिवृत्ति से पहले धारित पद :
5. सेवा के दौरान मंत्रालय तथा धारित पद का विवरण :

मंत्रालय/विभाग	पदनाम	अवधि		सतर्कता / जांच के संबंध में किए गए कर्तव्य /जांच /कर्तव्य (कार्य) /, यदि कोई हो
		कब से	कब तक	

6. क्या आपने कभी जांच अधिकारी के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है :

यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें:

7. क्या आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए हैं :
अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है।

8. क्या सेवा के दौरान कोई जुर्माना लगाया गया था :
यदि हाँ, तो उसका विवरण दें:

नाम और हस्ताक्षर
स्थायी/वर्तमान पता एवं दूरभाष

स्थान:
दिनांक:

(सेवानिवृत्त अधिकारियों की जांच अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए संबंधित मंत्रालय/ विभाग/ सार्वजनिक उपक्रमों के सी.वी.ओ. सहित तीन संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा)